

न्यायालय, भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

एस0 ए0 आर0 वाद सं0 03/2018-19

प्रथम पक्ष - सुशील उरॉव अपीलार्थी

71(A) सी0एन0टी0 एक्ट

अनुसूची - 14 फर्म सं0 563

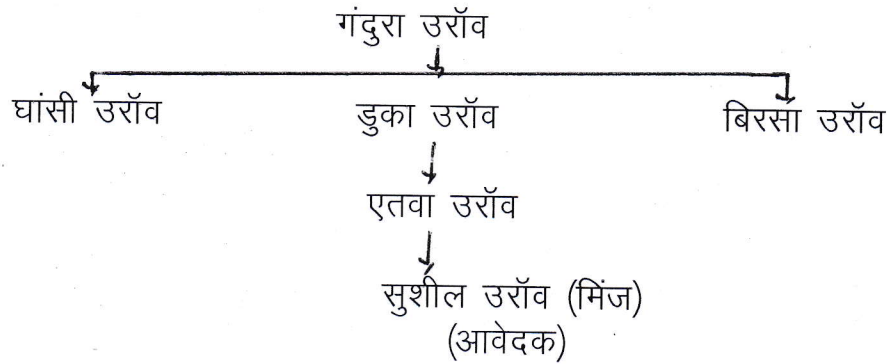
बनाम

द्वितीय पक्ष - अनील भगत उत्तरवादी

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ												
1	2	3												
19.4.22	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी सुनील उरॉव, पिता - एतवा उरॉव, ग्राम पालकोट थाना - पालकोट, जिला -गुमला द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद दायर किया गया है जिसमें अपीलार्थी मौजा पालकोट के थाना सं0 63 खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 रकबा 1.24 एकड़ भूमि में से 0.15 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत है, उक्त भूमि में उत्तरवादी अनील भगत, पिता स्व0 जगदेव भगत, ग्राम पालकोट, थाना पालकोट, जिला गुमला के द्वारा छल प्रपंच कर दूसरे जगह जमीन देंगे कहकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। दूसरे स्थान में अब तक जमीन नहीं देने एवं अवैध रूप से अपीलार्थी के जमीन को खाली छोड़ने के कारण अपीलार्थी विवश होकर एस0 ए0 आर0 आवेदन दाखिल किया गया। वादगत भूमि का विवरण <table><tr><th>मौजा/थाना नं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>पालकोट / 63</td><td>719</td><td>1601</td><td>1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि</td></tr><tr><td colspan="4">कुल रकबा 0.15 (पंद्रह डिसमील)</td></tr></table> अपीलार्थी के आवेदित भूमि के दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी के द्वारा उक्त वादगत भूमि से संबंधित खतियान, लगान रसिद एवं सत्यापित वंशावली की छाया प्रति संलग्न किया गया है। अपीलार्थी की ओर :- अपीलार्थी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए है जिसमें लिखित जवाब दाखिल किया गया है कि उक्त वाद मौजा पालकोट थाना सं0 63 खाता सं0 719 आर0 एस0 खतियान नन्हू उरॉव वल्द गंदुरा उरॉव के नाम से कुल	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	पालकोट / 63	719	1601	1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि	कुल रकबा 0.15 (पंद्रह डिसमील)				
मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा											
पालकोट / 63	719	1601	1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि											
कुल रकबा 0.15 (पंद्रह डिसमील)														



रकबा 2.43 एकड़ दर्ज है। मौजा पालकोट अंदर आर0एस0 खाता सं0 719 का सरकारी माल गुजारी रसीद नान्हू उरॉव, पिता गंदुरा उरॉव के नाम से कटजा हैं। खाता सं0 719 के खतियानी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार है।



आवेदक ने मौजा पालकोट थाना पालकोट के अंदर खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 जमीन का नापी हेतु अंचल अधिकारी पालकोट को आवेदन दिया था जिसका सीमांकन वाद सं0 17/2019 ज्ञापांक 122(ii) दिनांक 27/02/2018 को जमीन नापी हेतु सरकारी अमीन पालकोट अंचल से भेजा गया। सरकारी अमीन का जमीन मापी रिपोर्ट में आया है कि अनिल मुखिया (विपक्षी) का पॉच डिसमील के जगह पर 0.14 डिसमील में मकान है और नौ डिसमील पर अधिक दखल कब्जा किए है।

आवेदक सुशील मिंज ने जमीन वापसी हेतु एस0ए0आर0 का केस विपक्षी अनिल भगत पर न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला में किया जिसमें न्यायालय द्वारा पालकोट अंचल से जॉच प्रतिवेदन मांग किया गया। अंचल पालकोट से जॉच प्रतिवेदन आने पर एस0ए0आर0 केस सं0 3/2018 दर्ज कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल पालकोट से जॉच प्रतिवेदन आया है उसमें आवेदक के पक्ष में है। एस0 ए0 आर0 का केस खतियानी रैयत ही कर सकता हैं। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। एस0ए0आर0 का केस जमीन वापसी हेतु किया गया है जो सही है। अतः अनुरोध है कि आवेदक का आवेदन को मंजूर करते हुए विपक्षी से जमीन वापस कराने का कृपा किया जाय।

आवेदन के द्वारा दाखिल कागजात:-

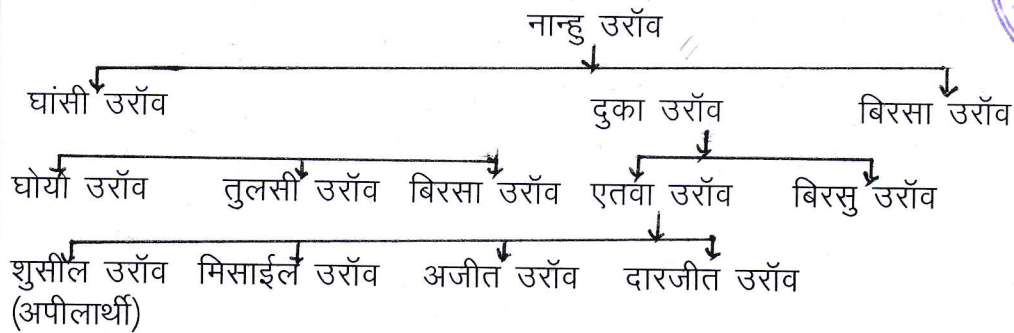
- (1) खाता सं0 719 का फोटो कॉपी।
- (2) मालगुजारी रसीद।
- (3) अंचल का सीमांकण प्रतिवेदन।
- (4) नक्सा सीमांकन का प्रति।

उत्तरवादी की ओर :-

उक्त वाद मौजा पालकोट के थाना सं0 63 खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 रकबा 1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि का बहाल करने के लिए यह मुकदमा दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि की सीमा का उल्लेख नहीं किया है। अंचल जॉच प्रतिवेदन में उस याचिका के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है जिसमें उत्तरवादी द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्योंकि इस प्लॉट के साथ सड़क गुजरा है एवं जुड़ा हुआ है। जिसमें सड़क के लिए भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

अपीलार्थी विवादित भूमि का मालिक नहीं है, नन्हू उराँव के नाम पर Record fo Right तैयार किया गया है। Recorded tenant नन्हू उराँव के तीन बेटे थे (1) चासी उराँव (2) दुका उराँव (3) बिरसा उराँव उनमें से बिरसा उराँव की मृत्यु निःसंदेह हुई। दुका उराँव के दो बेटे थे (1) एतवा उराँव (2) बिरसु उराँव एतवा उराँव के चार बेटे हैं। (1) सुशील उराँव (अपीलार्थी) (2) मिसाइल उराँव (3) अजीत उराँव (4) दारजीत उराँव। घांसी उराँव अपने पीछे अपने तीन पुत्रों को छोड़कर कर मर गया (1) घोयो उराँव (2) तुलसी उराँव (3) बिरसा उराँव। इनमें तुलसी उराँव और बिरसा उराँव का मृत्यु हो गई। अपनी आजीविका के लिए बंगाल में रहने वाले घोयो उराँव और पूरी भूमि को दो पक्षों के बीच विभाजित किया गया है। याचिकाकर्ता सुशील उराँव के कब्जे में है और आधा भाग घोयो उराँव के कब्जे में है जो बंगाल में रह रहे हैं और बीच बीच में आते थे और उत्तरवादी (अनिल भगत) के घर में रह रहा था और अब घोयो उराँव ने अपनी अधवटाईकी के माध्यम से खाता सं० 719, प्लॉट सं० 1601 और अनुमति के लिए आवेदन किया है। विपक्ष के पक्ष में जमीन भेंट किया। इसलिए यह एस०ए०आर० याचिका का कोई मतलब नहीं है।

दर्ज किरायेदार के वारिसों की एक वंशावली



याचिकाकर्ता स्वयं अस्पष्ट है। क्योंकि घोयो उराँव पुत्र पिता स्व० घांसी उराँव ने अनुमति वाद लेकर वाद सं० 17/2005-06 की अनुमति के वाद 14/12/2005 को बिक्री विलेख निष्पादित किया और अनिल भगत ने अपने परिवार के साथ घर और रहने का निर्माण किया है। याचिकाकर्ता को पूरे भूमि में वाद दायर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उत्तरवादी के द्वारा दाखिल कागजात:-

अंचल अधिकारी, पालकोट का जॉच प्रतिवेदन:-

अंचल अधिकारी, पालकोट के पत्रांक 259/रा० दिनांक 09/05/2018 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त वादगत भूमि सर्वे खतियान के आधार पर रैयत एवं वर्तमान जमाबंदी के अनुसार रैयत का नाम नान्हु उराँव पिता गंदुरा उराँव कौम उराँव सा० देह दर्ज है।

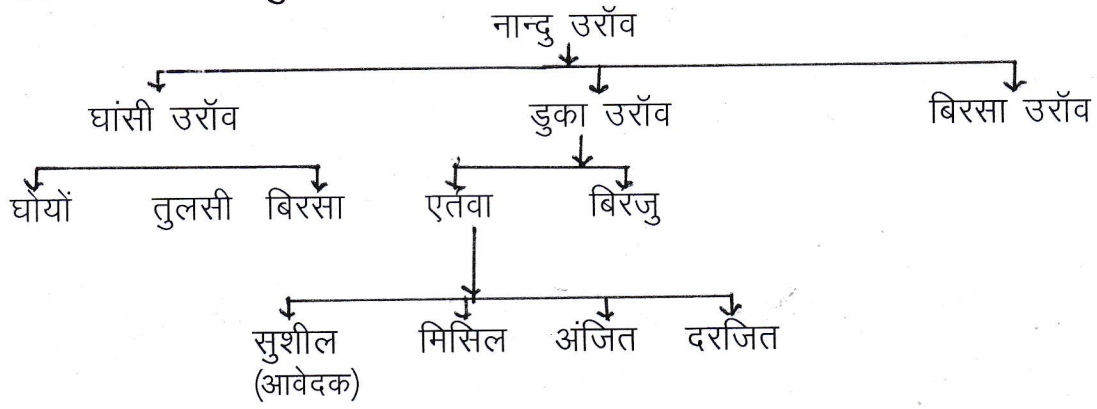
विवादित भूमि विवरणी खाता सं० 719 प्लॉट सं० 1601 रकबा 1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि लगान देने वाले रैयत का नाम सुशील उराँव पिता एतवा उराँव ग्राम पालकोट। विवादित भूमि पर विवादित भूमि पर दखलकार का नाम एवं पता अनील भगत पिता जगदेव भगत पालकोट। विवादित भूमि पर निर्माण कार्य हुआ है।

सर्वे खतियान के अनुसार वंशावली:-

नान्हु उराँव



सर्वे खतियान के अनुसार वंशावली:-

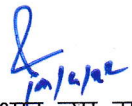


अंचल निरीक्ष के जॉच एवं मंतव्य में कहा गया है के हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया जाता है कि उक्त प्रसंगाधीन जमीन पर आवेदक का बिक्री जमीन के अलावे अधिक जमीन पर विपक्ष का अवैध कब्जा है जो विवादग्रस्त है। अतः दोनों पक्ष पर राजस्व संबंधित युक्तियुक्त सुनवाई अवसर प्रदान कर न्यायिक सक्रियता में पक्ष हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त वाद में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित जवाब, दस्तावेज अंचल अधिकारी, पालकोट का जॉच प्रतिवेदन, बहस को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त वादगत भूमि मौजा पालकोट के थाना सं० 63 खाता सं० 719 प्लॉट सं० 1601 रकबा 1.24 एकड़ भूमि में से 0.15 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह भूमि आवेदक सुशील मिंज की खतियानी सम्मिलात भूमि है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा आवेदक से खरीदगी गई जमीन जमीन 0.5(पाँच) एकड़ भूमि के अलावे 0.15 (पंद्रह) एकड़ पर अवैध देखल किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा भूवापसी हेतु दायर आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, पालकोट को निर्देश दिया जाता है कि वे वादगत भूमि पर आवेदक की देखल दिलाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन से न्यायालय को भी संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)।




भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)।